<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./3180/2005/अलवर</u>

रामजी लाल पुत्र श्री पन्ना जाति कुम्हार निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मांग्या
2. सिंहाराम पुत्र श्री पूरण
3. भूप सिंह पुत्र श्री पूरण
4. लक्षमण पुत्र श्री पूरण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री मोडू दान देथा सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री अजीत सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ओ.एल.दवे अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः18.10.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7–12–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुण्डावर के समक्ष प्रत्यर्थी

संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,89 एवं 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 3–11–2001 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7–12–04 से बरूए राजीनामा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय निरस्त कर दिया तथा हाल आराजी खसरा नम्बर384 रकबा 16विस्वा तथा 385 रकबा 17 विस्वा के 3/4 हिस्से का प्रत्यर्थीगण को खातेदार घोषित करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय में उन्होंने यह स्पष्ट अंकित किया है कि श्रीरामजी लाल द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामे की सम्भावना जो प्रदर्श पी–2 है तथा जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है वह प्रदर्श पी–3 है,जो उपजिलाधीश किशनगढवास द्वारा तस्दीक नहीं है। उप जिलाधीश किशनगढवास द्वारा दिनांक 19–2–1963 को न तो राजीनामा तस्दीक किया गया था न ही राजीनामे अनुसार डिक्री मुर्तिब की गई थी। यदि राजीनामा हो जाता तथा

राजीनामे अनुसार डिक्री जारी हो जाती तो भी उक्त डिक्री की इजराय हेतु मियाद दिनांक 19–2–1975 को पूर्ण हो चुकी थी क्योंकि डिक्री की इजराय हेतु मियाद 12 वर्ष निर्धारित है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पहले हमारी खातेदारी की थी किन्तु गलती से अपीलार्थी के नाम दर्ज कर दी। इस आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पहले ही दावा चला था और बाद में राजीनामा हो गया था। इस आराजी पर हमारा ही कब्जा काश्त स्वीकार किया गया था। अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध विभाग से अपने नाम खातेदारी दर्ज करा लीद जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हमारी अपील स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2021 में खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा पर माग्या पुत्र श्योबख्स जाट साकिन देह मालिक बकाश्त रामदयाल पुत्र नत्थूराम जाट साकिन सोडवास शिकमी काश्तकार 2 साल दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि सम्बत 2021 में अपीलार्थी रामजी लाल का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। परन्तु बाद में उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदार दर्ज कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच में दिनांक 19–2–63 को राजीनामा हुआ है

जिसमें वादी रामजीलाल का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी मांग्या का 3/4 हिस्सा माना गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि उप जिलाधीश किशनगढवास द्वारा दिनांक 19–2–1963 को न तो राजीनामा तस्दीक किया गया था न ही राजीनामे अनुसार डिक्री मुर्तिब की गई थी। यदि राजीनामा हो जाता तथा राजीनामे अनुसार डिक्री जारी हो जाती तो भी उक्त डिक्री की इजराय हेतु मियाद दिनांक 19–2–1975 को पूर्ण हो चुकी थी क्योंकि डिक्री की इजराय हेतु मियाद 12 वर्ष निर्धारित है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योकि आदेशिका दिनांक 19–2–63 में यह अंकित है कि फरीकैन ने वाहमी समझौते के अनुसार केस का राजीनामा तस्दीक कराकर पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अतः मुकदमा बरूए राजीनामा नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफतर हो। अहकाम अमल दरामद मुताबिक राजीनामा जारी हो। इसके अतिरिक्त जो राजीनामा पेश किया गया है उसको उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। पूर्व में मांग्या इस आराजी का खातेदार था जिसका उल्लेख नकल जमाबन्दी सम्बत 2014–17 में है तथा सम्बत 2021 में भी वह खातेदार था। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों के अनुकूल एवं विधि सम्मत है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य